केरल राज्य विद्युत बोर्ड

बनाम

बी. श्रीकुमारी

(सिविल अपील संख्या 1994/2008)

मार्च, 14, 2008

(डा. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम जे.जे.)

मुआवजा- दावेदार की संपत्ति पर खींची गई बिजली की लाइन -संपत्ति के घटते मूल्य के लिए मुआवजा-विचारण न्यायालय द्वारा बढ़ाया गया- उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिका को खारिज किया गया- की शुद्धता- पारित- उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम लिविशा के मामले को ध्यान में रखते हुए, यह मामला विवाधको को नए सिरे से निर्धारण करने के लिए उच्च न्यायालय को पुनः प्रेषित किया गया।

अपीलकर्ता ने प्रतिवादी की सम्पति के उपर से बिजली लाईन खींच दी थी जिससे उसका मूल्य कम हो गया। विचारण न्यायालय ने उसे हुये कथित नुकसान के लिये अधिकारियों द्वारा दिये गये मुआवजे को बढा दिया, बिजली बोर्ड द्वारा इसके खिलाफ दायर की गई पुनरीक्षण याचिका को उच्च न्यायालय ने कम्बा अम्मा बनाम के एसईबी में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुये खारिज कर दिया इसलिये वर्तमान अपील पेश हुई।

अपीलकर्ता- बोर्ड ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से कायम रहने योग्य नहीं है क्योंकि कम्बा अम्मा के वाद के पूर्ण पीठ के फैसले को इस

न्यायालय ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम लिविशा आदि आदि के बाद में खारिज कर दिया था।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुये अभिनिर्धारित किया-

केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम लिविशा आदि आदि के मामले में व्यक्त किये गये विचार का अनुसरण करते हुये उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है और मामले को पूर्वोक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुये नये सिरे से निर्धारण करने के लिये, मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाता है। (पैरा-5)(74-बी सी)

केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम लिविशा आदि आदि (2007)6 एससीसी 792 पर निर्भर किया गया।

कम्बा अम्बा बनाम ईएसईबी (2003) 1 के.एल.टी 542 का संदर्भ दिया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2008 की सिविल अपील संख्या-1994

केरल उच्च न्यायालय एर्नकुलम की 2006 की सिविल पुनरीक्षा याचिका संख्या 151 के अंतिम निर्णय और आदेश से।

एम.टी. जौर्ज-अपीलार्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. के द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में केरल उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें अपीलकर्ता केरल राज्य विद्युत बोर्ड(संक्षेप में बोर्ड) द्वारा दायर

सिविल पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया था। उक्त सिविल पुनरीक्षण याचिका में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या-1 मवेलिकारा द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें प्रतिवादी (जिसे इसके बाद दावेदार के रूप में संदर्भित किया जाएगा) को उसकी संपति पर बिजली लाईन खींचने के कारण हुये कथित नुकसान के लिये बढा हुआ मुआवजा दिया गया था। यह विवाद जमीन की कीमत कम होने पर दिये जाने वाले मुआवजे और ब्याज देने से जुडा है। केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय कुम्बा अम्मा बनाम के एस ई बी {(2002)(1) के.एल.टी 542} पर निर्भर करते हुये उच्च न्यायालय ने सिविल पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी थी।

3. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता-बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से कायम रहने योग्य नहीं है क्योंकि कम्बा अम्मा के वाद में पूर्ण पीठ द्वारा पारित निर्णय को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम लिविशा आदि आदि (2007) 6 एससीसी 792 में खारिज कर दिया था। सिविल अपील संख्या 289/2006 व अन्य सिविल अपीलों में सामान्य निर्णय द्वारा इस न्यायालय ने प्रत्येक मामले में लागू आदेश को रद्द कर दिया और मामले को पुनः नए सिर विचार करने हेतु उच्च न्यायालय को पुनः प्रेषित कर दिया। इसे अन्य बातों के साथ-साथ निम्न प्रकार से विनिश्चत कियाः

केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम बी श्रीकुमारी (डॉ. अरिजीत पसायत, जे.)

"10. भूमि की स्थिति, उस पर बिछाई गई हाई-वोल्टेज बिजली लाईन के बीच की दूरी, उस पर लाईन की सीमा, और यह तथ भी कि क्या हाई वोल्टेज लाईन भूमि के एक छोटे से हिस्से के उपर से गुजरती है या उसके बीच से होकर गुजरती है और इसी तरह के अन्य संबंधित कारक हमारी राय में निर्धारक होगे। भूमि का मूल्य भी एक संबंधित

कारक होगा। इसके अलावा प्रस्तुत परिस्थितियों में भूमि का मालिक उस सम्पति का उपभोग करने का अपना मूल अधिकार खो सकता है। जिसका वही उपभोग किया जाना था।"

11. जहां तक फल देने वाले पेडो के संबंध में मुआवजे का सवाल है यह प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा। प्रसंगवश, हम इस न्यायालय के निर्णय भूमि अधिग्रहण अधिकारी बनाम कामदाना रामकृष्ण राव के मामले का उल्लेख कर सकते है जिसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत देय मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिये उपज के आधार पर किये गये दावे को प्रासंगिक माना गया है; कपूर सिंह मिस्त्री बनाम वितीय आयुक्त एवं राजस्व सचिव पंजाब सरकार, हरियाणा राज्य बनाम गुरूचरण सिंह पैरा 4 और भारतीय विमानपतन प्राधिकरण बनाम सत्यगोपाल राय(एस.सी.सी.पेज 533 पैरा 14) के मामलों में भी यही सिद्धांत दोहराया गया था।

"14. इस प्रकार हमारे विचार में उच्च न्यायालय द्वारा गुरूचरण सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का पालन न करने और 8 वर्ष का गुणक अपनाते हुये पेडो से होने वाली उपज के आधार पर प्रत्यर्थी को देय मुआवजे का निर्धारण नहीं करने का कोई कारण नहीं था। मामले में इस संबंध में हमारे विचार में उच्च न्यायालय ने 18 के गुणक को अपनाते हुये मुआवजा देने स्पष्ट त्रुटि की है।"

12. इसलिये हमारी राय है कि उच्च न्यायालय को मामले को उसमें निहित तथ्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक मामले के

गुणावगुण के आधार पर नए सिरे से विचार करना चाहिये। इसलिये आक्षेपित निर्णयों को कायम नहीं रखा जा सकता इन्हे तदनुसार निरस्त किया जाता है। मामलो को नए सिरे से विचार करने के लिये इन्हे उच्च न्यायालय को भेजा जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। मामले की तथ्य परिस्थितियों में वाद खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

4. नोटिस दिये जाने के बावजूद प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

5. उपर्युक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये विचार के बाद हम उच्च न्यायालय के विवादित आदेश निरस्त करते है और उपर्युक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांतो को ध्यान में रखते हुये मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिये उसके पास भेजते है।

6. वाद-खर्च पर कोई आदेश किये बिना अपील स्वीकार की जाती है।

एस.के.एस.

अपील स्वीकृत हुई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुरेन्द्र चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।